

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वसित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) वेतनमान (9300-34800/15600-39100) में निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे	
1	प्रताप राम सेनि प्रधानाचार्य राउमावि. सातलावास, (नागौर)	प्रधानाचार्य	04-04-1956	24-11-1995	20 YEAR	23-11-2015	24-11-2015	6800/-
2	संजीव कुमार गुप्ता, राउमावि. गौटन जिला नागौर	प्रधानाचार्य	05-01-1966	31-07-1995	20 YEAR	30-07-2015	31-07-2015	6800/-
3	दिनेश कुमार औझा, आतारैवत जिला परियोजन समनव्यक, अजमेर	प्रधानाचार्य	19-05-1968	12-10-1996	20 YEAR	11-10-2016	12-10-2016	6800/-
4	साधना अग्रवाल, राउमावि. राउमावि. रतनादेसर (चूरु)	प्रधानाचार्य	02-10-1956	16-08-1985	30 YEAR	15-08-2015	16-08-2015	6800/-

एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।



निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 11-05-18

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-2-7/एसीपी/बीका/चूरु/अज/2016


प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-


1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

2. संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक

3. माध्यमिक शिक्षा

4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) वेतनमान (9300-34800/15600-39100) में निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रिपुसूदन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर	उप प्रधानाचार्य	31-07-1961	25-05-1992	20 YEAR	24-05-2012	25-05-2012	6600/-
2	सुधीर कुमार डांगरा, राउमावि, खान्दू कॉलोनी, बांसवाड़ा	प्रधानाचार्य	03-07-1962	13-08-1994	20 YEAR	12-08-2014	13-08-2014	6800/-
3	शुभा, राबाउमावि, छावनी जिला कोटा	प्रधानाचार्य	04-04-1967	05-10-1995	20 YEAR	04-10-2015	05-10-2015	6800/-
4	अर्चना मिश्रा, राउमावि, रूपसपुर, बाड़ी धौलपुर	प्रधानाचार्य	25-08-1984	10-08-2007	10 YEAR	09-08-2017	10-08-2017	5400/-
5	कैलाश चन्द मीना, राउमावि, औण्ड, करौली	प्रधानाचार्य	01-07-1965	26-01-1991	20 YEAR	25-01-2011	26-01-2011	6600/-
6	नरेन्द्र सिंह, राउमावि, सबलाना जिला भरतपुर	प्रधानाचार्य	15-07-1964	14-08-1995	20 YEAR	13-08-2015	14-08-2015	6800/-
7	महेश कुमार, राउमावि, पल्ला जिला भरतपुर	प्रधानाचार्य	04-05-1965	12-10-1996	20 YEAR	11-10-2016	12-10-2016	6800/-
8	महेन्द्र सिंह सौलकी, रामावि, झरियाणा जिला डूंगरपुर	प्र०अ०	17-07-1963	27-11-1996	20 YEAR	26-11-2016	27-11-2016	6600/-
9	प्रदीप कुमार मेहता, राउमावि, पडौली राठौड़ जिला बांसवाड़ा	प्रधानाचार्य	17-04-1955	10-08-1984	30 YEAR	09-08-2014	10-08-2014	6800/-

(Handwritten Signature)

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्विती य व तृतीय एसीपी दंड तिथि	एसीपी दंड जान पर दंड-पे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	लक्ष्मीनारायण लवासिया, राउमावि, दौनारी जिला धौलपुर	प्रधानाचार्य	06-08-1958	28-03-1985	30 YEAR	27-03-2015	28-03-2015	6800/-
11	लखमी सिंह, ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प०स० केशवराय पाटन, जिला बून्दी	डीईईओ	12-08-1962	14-12-1991	20 YEAR	13-12-2011	14-12-2011	5400/-
12	प्रदीप कुमार चौबीसा, राउमावि, सेमारी जिला उदयपुर	प्रधानाचार्य	01-01-1964	30-08-1995	20 YEAR	29-08-2015	30-08-2015	6800/-

एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(Signature)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बोकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/सस्था/ए-5-6-8/एसीपी/उद./कोटा/मरत/2016

दिनांक 11-5-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
2. संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
3. संबंधित अधिकारी

4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड क

(Signature)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बोकानेर

(Signature)